राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1658/2024

अनिता मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), फलोदी जिला फलोदी।
4. तहसीलदार, तहसील बाप, जिला फलोदी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 16.04.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई एवं दिनांक 18.03.2024 को प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल सांवरा गांव तहसील बाप जिला जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवारी, तहसील बाप जिला फलोदी से जिला धौलपुर में बिना स्थान बताये किया गया। जिसको चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 797/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मंडल सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी से तहसील व जिला धौलपुर में 720 कि.मी. दूर बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एवं माननीय अधिकरण में मामला विचाराधीन होते हुए किया गया है। अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में जिला जोधपुर में कार्यरत

हैं। राज्य की स्थानान्तरण नीति के तहत पति–पत्नी यदि राज्य सेवा में कार्यरत है तो उन्हें एक ही स्थान पर या आस–पास लगाया जाना चाहिए एवं अपीलर्थी के बच्चे भी जिला जोधपुर में ही अध्ययनरत है। ऐसे अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी के बच्चो की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 746/2022 नीलम कुमारी मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 14549/2022 इंद्रा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4410/2024 अशोक कुमार सुथार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4457/2024 गिरधारी लाल खटीक बनाम राजस्व में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पटवार मंडल सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी में कार्य करने दिया जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से केवेयटर ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10.03.2024 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती। मण्डल के उक्त स्थानान्तरण आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त समस्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनहित में किये जा रहे है। आदेश निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2024 से पटवारी संवर्ग की क्रम संख्या 30 पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील बाप, जिला फलोदी से जिला धौलपुर में किया गया है। मण्डल के उक्त आदेश में अपीलार्थी के संबंध में नवीन पदस्थापन स्थान पर जिले के अलावा पटवार मण्डल एवं तहसील का अंकन नहीं था, जिस

कारण उक्त स्थानान्तरण को मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 से पुनः अपीलार्थी का नवीन स्थानान्तरण क्रम संख्या 32 से तहसील एवं जिला धौलपुर में किया गया। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान विद्यमान हैः– ''नियम 9–तबादले (स्थानान्तरण)–(1क) उपखण्ड अधिकारी किसी पटवारी को स्थानान्तरण उपखण्ड के भीतर कहीं भी कर सकेगा और कलेक्टर किसी पटवारी का स्थानान्तरण जिले के भीतर कहीं भी कर सकेगा। परन्तु राज्य सरकार किसी पटवारी का स्थानान्तरण जिले के भीतर कहीं भी करने के लिये कलक्टर को निर्देश दे सकेगी। अपीलार्थी के द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल सांवरा गांव, तहसील बाप, जिला फलोदी में कार्यरत है। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2024 से पटवारी संवर्ग की क्रम संख्या 30 पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील बाप, जिला फलोदी से जिला धौलपुर में किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण में अपील संख्या 797/2024 दायर करने पर अधिकरण के आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–6) में अपीलार्थी के संबंध में नवीन पदस्थापन स्थान पर जिले के अलावा पटवार मण्डल एवं तहसील का अंकन नहीं था, जिस कारण उक्त आदेश को मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 से पुनः अपीलार्थी का नवीन स्थानान्तरण क्रम संख्या 32 से तहसील एवं जिला धौलपुर में किया गया। यह स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2019 से पदस्थापित है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का विधिक अधिकार नहीं होता है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि

स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य